पत्रांक-1/पी0एम0सी0/629/2003- 533

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक : ई0 सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 13/06 /2013.

विषय : आमंत्रित निविदा का वित्तीय वीड खोलने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि तकनीकी वीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के उपरांत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता आमंत्रित निविदाओं का वित्तीय वीड अपने स्तर से खोल कर इसे विभागीय निविदा समिति के विचारार्थ उपस्थापित करते हैं । कई मामलों में जहाँ एक से अधिक संवेदक के द्वारा निविदा में समान दर अंकित किये जाते हैं वहाँ मुख्य अभियंता द्वारा लॉटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन भी कर लिया जाता है । साथ ही जहाँ निविदादाता से दर वार्त्ता की आवश्यकता होती है मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से दर वार्त्ता कर विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित करते हैं । इस बीच कभी-कभी तकनीकी वीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर कई परिवाद भी प्राप्त होते हैं । फलतः प्राप्त परिवाद की जाँच में समय लगने के चलते कार्यावंटन में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी वीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के उपरांत विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त कर ही सफल निविदाकार के वित्तीय वीड को संबंधित मुख्य अभियंता के स्तर पर खोला जायेगा एवं तदोपरांत विभागीय निविदा समिति के विचारार्थ उपस्थापित किया जायेगा ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए।

विश्वासभाजन,

13/6/2013

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।